न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 23/2021

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. गंगाराम पुत्र शिवाराम जाति पटेल चौधरी निवासी पटेलों का वास, वी/पी चान्दराई मूल की ढाणी जिला बाड़मेर (मैसर्स वन्दना मसाला किराणा स्टोर, कल्याणपुर, बाड़मेर का मालिक) 2. चम्पालाल छाजेड पुत्र आसुलाल छाजेड निवासी 220 रिशभ नरपतनगर, पाल रोड, जोधपुर नोमिनी परसन ऑफ मैसर्स सर्वोदय रिफाईनरी प्रा0 लि0 पी–39 वीर सावरकर मार्केट, मण्डोर मण्डी जोधपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री सुनील बी एल रामावत, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 07.03.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की **फर्म मैसर्स वन्दना मसाला किराणा स्टोर, कल्य**[illegible]ांक **10.11.2020** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोया**[illegible] **तेल** [illegible]**ण्ड फोरलाईन (500 एमएल)** जो अलग–अलग बोतलों में भरा [illegible], की मिल[illegible]का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **रिफाईन सोया**[illegible] **(500 एमएल)** वा[illegible]ना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1280** अंकित क[illegible]सकी जांच खाद्य सुरक्ष[illegible] मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

फोरलाईन (500 एमएल) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबिन तेल ब्राण्ड फोरलाईन (500 एमएल)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण ने लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रिफाईन सोयाबिन तेल एफएसएल जांच में अशुद्ध नहीं पाया गया है जबकि मात्र तेल टिन की लेबलिंग की प्रिंटिंग में अनुज्ञप्ति संख्या 10012013000315 जो कि 14 अंकों की थी की जगह 1001201300315 प्रिन्ट हो गये हैं जो 13 अंक ही थे। यह एक प्रिंटिंग की मानवीय भूल है जिसे जानबूझकर नहीं किया गया है और इस कारण मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही जवाब में यह भी निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 15.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 सर्वोदय रिफाईनरी प्रा0 लि0 जोधपुर से इसी प्रकार तेल का नमूना लेकर उसी प्रकरण में भी इसी प्रकार लाईसेंस नंबर में एक अंक कम अंकित हो जाने की वजह से मिथ्याछाप मानकर दर्ज प्रकरण में दस हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की थी जिसके निर्णय की प्रति संलग्न पेश की गई है। इस प्रकार एक ही फर्म द्वारा प्रोडक्ट की लेबलिंग की प्रिंटिंग में हुई मानवीय टंकणीय भूल के कारण बार–बार दोषी कानूनन सिद्ध नहीं किया जा सकता है। लिहाजा एक ही आधार पर उक्त प्रकरण में पुनः दण्डित किया जाना विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध बताकर उक्त इस्तगासा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से [illegible] खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मा[illegible]ना जांच रिपोर्ट दिनांक **18.12.2020** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई [illegible] लिखित जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया किरिफाईन सोयाबिन तेल एफएसएल जांच में अशुद्ध नहीं पाया गया है जबकि मात्र तेल टिन की लेबलिंग की प्रिंटिंग में अनुज्ञप्ति संख्या 10012013000315 जो कि 14 अंकों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

थी की जगह 1001201300315 प्रिन्ट हो गये हैं जो 13 अंक ही थे। यह एक प्रिंटिंग की मानवीय भूल है जिसे जानबूझकर नहीं किया गया है और इस कारण मानव स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही जवाब में यह भी निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 15.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 सर्वोदय रिफाईनरी प्रा0 लि0 जोधपुर से इसी प्रकार तेल का नमूना लेकर उसी प्रकरण में भी इसी प्रकार लाईसेंस नंबर में एक अंक कम अंकित हो जाने की वजह से मिथ्याछाप मानकर दर्ज प्रकरण में दस हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की थी जिसके निर्णय की प्रति संलग्न पेश की गई है। इस प्रकार एक ही फर्म द्वारा प्रोडक्ट की लेबलिंग की प्रिंटिंग में हुई मानवीय टंकणीय भूल के कारण बार–बार दोषी कानूनन सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 2 के खाद्य पदार्थ की खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर द्वारा सैम्पलिंग दिनांक 15.06.2020 को की गई है तथा इसके पश्चात हस्तगत प्रकरण में दिनांक 10.11.2020 अर्थात 5 माह बाद पुनः सैम्पल लिया गया है जो पुनः मिथ्याछाप पाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि उक्त मिथ्याछाप की त्रुटि उसी बैच के प्रोडक्ट की है जिसके लिए न्याय निर्णयन अधिकारी जोधपुर द्वारा जुर्माना से दण्डित किया गया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का अप्रार्थी संख्या 2 निर्माता के पास कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 को पूर्व में लिए गये सैम्पल के समय जानकारी हो जाने के बावजूद संशोधन नहीं किया जाना एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 2 पर रूपये 2,50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:55:59 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर